कर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर बनाम श्री गौरव कांडिल पुत्र मोजीराम कांडिल निवासी जी.टी.रोड धौलपुर व अन्य

किस्म मुकदमा:—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 62 सन् 2017

RCMS No. 2017/00222

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.12.2017	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर की ओर से मुख्य प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा शाखा धौलपुर ने अप्रार्थी/ऋणी 1. गौरव कांडिल पुत्र मौजीराम कांडिल 2. मौजीराम पुत्र चिरौंजी लाल कांडिल, निवासीगण जिरौली जी.टी. रोड धौलपुर के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 01.03.2013 को रूपये 22,68,000/—रूपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:— जी उद्योग एफ 90, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, धौलपुर राजस्थान जो गौरव कांडिल पुत्र मोजीराम कांडिल व मौजीराम पुत्र चिरौंजी लाल के नाम से है, को ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन कर परिसम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया। तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 31.01.2014 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 28.02.2013 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 12,09,058.35/— रूपये मात्र दिनांक 28.02.2013 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The	

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति प्लॉट नं0 एफ–90, रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया औडेला रोड धौलपुर राजस्थान में स्थित है, जो कि गौरव कांडिल पुत्र मोजीराम कांडिल व मौजीराम पुत्र चिरौंजी लाल के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुचि त्यागी)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर